राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक : 19 APR 2023

आदेश

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 12 अप्रेल, 2023 में लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 के बिन्दु सं. 2 में "सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं चेरीटेबल संस्थाओं/ट्रस्ट को रियायती दरों पर भूमि आवंटन" हेतु उप बिन्दु सं. 2.9 के उल्लेखित तालिका के क्र.स. 3 में नया बिन्दु क्रम सं 9 निम्नानुसार जोडा जाता है :–

9. विभिन्न समाजों के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल 2500 व.मी. तथा संभागीय मुख्यालय को छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 3000 व.मी. तक।

उक्त आदेश मन्त्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 63/2023 दिनांक 17.04.2023 की अनुपालना में जारी किए गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम